**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2228**

**दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**भारत में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की स्थिति**

**†2228. श्री राजू बिष्ट**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की वर्तमान स्थिति, विशेषकर जुलाई 2025 तक अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता की राज्य-वार स्थिति क्या है;
(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ग) दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में विशेषकर स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
(घ) उक्त जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), ब्लॉक जन-स्वास्थ्य केन्द्रों (बीपीएचसी) में स्थापित स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस 2022) के अनुसार, प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 बिस्तर उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार, 20,000 से 30,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 6 इनडोर/ऑब्जर्वेशन बेड वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-पीएचसी), 80,000-1,20,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 1,00,000-5,00,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 31-100 बिस्तर वाले उप-जिला अस्पताल और 30,00,000 तक की जनसंख्या को कवर करने के लिए 101-500 बिस्तर वाले जिला अस्पताल स्थापित किए जाने हैं।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2022-23 (अवसंरचना और मानव संसाधन), जिसे पहले ग्रामीण

स्वास्थ्य सांख्यिकी के रूप में जाना जाता था, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 31.03.2023 तक भारत में पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में 8,18,661 बिस्तर उप्लब्ध थे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)वार उपलब्ध बिस्तरों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वे आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास करें। तथापि, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के उनके प्रयासों में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है।

एनएचएम के तहत भवन अवसंरचना के विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 और विगत दो वित्त वर्षों यानी वर्ष 2024-25 और 2023-24 के दौरान स्वीकृत निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

| **क्र. सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2025-26** | **2024-25** | **2023-24** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पश्चिम बंगाल | 20223.75 | 8,735.08 | 10,840.43 |

वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों सहित पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वीकृत स्वास्थ्य परियोजनाओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=62&lid=75

- **पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):** कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ (सीएस) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसकी योजना अवधि (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-26 के लिए 10609 भवन रहित-एएएम, 5456 शहरी-एएएम, 2151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), जिला स्तर पर 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 621

गहन क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु 33,081.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पीएम-अभियान के सीएसएस घटक के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की योजना अवधि के दौरान 385 भवन रहित उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), 204 शहरी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम), 23 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) और 22 गहन चिकित्सा परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 1309.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

- दार्जिलिंग जिले में 4.99 करोड़ रुपये की लागत से 9 भवन रहित उप-केंद्र एएएम, 1.25 करोड़ रुपये की लागत से 1 आईपीएचएल और 23.75 करोड़ रुपये की लागत से 1 सीसीबी को मंजूरी दी गई है। जबकि कलिम्पोंग जिले में 1.25 करोड़ रुपये की लागत से 1 आईपीएचएल को मंजूरी दी गई है।

- **15वां वित्त आयोग (एफसी-XV):** पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी -XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV- एफसी) स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए 1551 भवन रहित एसएचसी, 80 भवन रहित पीएचसी, 7 भवन रहित सीएचसी, 341 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाईयों और 1584 शहरी-एएएम की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए 4318.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

****

**अनुलग्नक**

| भारत में पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच, डीएच व मेडिकल कॉलेजों में बिस्तरों की संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | संघ राज्य क्षेत्र | (31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार) | | | | |
| | | पीएचसी | सीएचसी | उप जिला/ उप मंडलीय अस्पताल | जिला अस्पताल | जिला अस्पताल |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 8712 | 6400 | 5400 | 2600 | 12583 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 397 | 594 | लागू नहीं | 1151 | 350 |
| 3 | असम | 3166 | 6218 | 844 | 3677 | 9343 |
| 4 | बिहार | 5596 | 8039 | 2459 | 4575 | 7251 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 5015 | 6726 | 629 | 3542 | 4458 |
| 6 | गोवा | 183 | 210 | 253 | 600 | 1342 |
| 7 | गुजरात | 9422 | 11167 | 4492 | 3257 | 17899 |
| 8 | हरियाणा | 2183 | 3079 | 1581 | 3647 | 3660 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1005 | 969 | 3665 | 1924 | 2632 |
| 10 | झारखंड | 1229 | 3647 | 534 | 3215 | 2900 |
| 11 | कर्नाटक | 15112 | 6500 | 14530 | 6174 | 13712 |
| 12 | केरल | 5727 | 6371 | 8347 | 15113 | 7175 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 8640 | 10590 | 9721 | 16650 | 5850 |
| 14 | महाराष्ट्र | 18276 | 15004 | 7903 | 4108 | 16998 |
| 15 | मणिपुर | 420 | 365 | 10 | 551 | 1449 |
| 16 | मेघालय | 1127 | 867 | 40 | 1960 | 594 |
| 17 | मिजोरम | 655 | 240 | 70 | 903 | 500 |
| 18 | नगालैंड | 706 | 325 | लागू नहीं | 1017 | लागू नहीं |
| 19 | ओडिशा | 1501 | 6290 | 1946 | 7288 | 9291 |
| 20 | पंजाब | 1688 | 3711 | 2509 | 3931 | 3160 |
| 21 | राजस्थान | 13866 | 23820 | 2500 | 9474 | 17131 |
| 22 | सिक्किम | 257 | 28 | लागू नहीं | 400 | लागू नहीं |
| 23 | तमिलनाडु | 10025 | 12582 | 21978 | 7695 | 29888 |
| 24 | तेलंगाना | 4662 | 3320 | 5400 | 2270 | 5960 |
| 25 | त्रिपुरा | 918 | 630 | 900 | 1260 | 727 |
| 26 | उत्तराखंड | 2111 | 1699 | 2035 | 1511 | 1850 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 13548 | 26157 | लागू नहीं | 22812 | 14726 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 7640 | 11205 | 13110 | 7599 | 25086 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 230 | 210 | लागू नहीं | 220 | 700 |
| 30 | चंडीगढ़ | 23 | 120 | 100 | 527 | 3096 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 177 | 132 | 100 | 240 | 589 |
| 32 | दिल्ली | 12 | लागू नहीं | 431 | 9789 | 12060 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 3955 | 2769 | लागू नहीं | 1862 | 5420 |
| 34 | लद्दाख | 320 | 190 | लागू नहीं | 370 | लागू नहीं |
| 35 | लक्षद्वीप | 40 | 90 | 70 | 50 | लागू नहीं |
| 36 | पुदुचेरी | 185 | 120 | लागू नहीं | 1853 | 2794 |
| | अखिल भारतीय/कुल | 148729 | 180384 | 111557 | 153815 | 224176 |

******